


21/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनुपस्थित। वादी द्वारा पर्याप्त समय देने के बाद भी संश्लेषित वाद पेश नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा संश्लेषित वाद 24/10/19 को पेश करने के आदेश दिये गये थे। वादी ने रावा से आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया जिनके नाम जमाबंदी सेवत 2074-77 की खाता स. 64,

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह की
	<p>ग्राम खेरवा की ढाणी, सहगुसर मे दर्ज है। आवश्यक पक्षकारों के अभाव में हिस्सा निष्पारित नही किया जा सकता है तथा विभाजन के आदेश नही दिये जा सकते है। चूंकि बंधुवारा के दावा मे 'Cause of action' सदैव विद्यमान है अतः वादी नए सिरे से दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। बाद वादी आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज किया जाता है। पचा डिक्री जारी होगी।</p> <p style="text-align: center;">  निधि सिंह (निधि सिंह) मुख्य अधिकारी शमगढ़ शेखावटी </p>	

